



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (हाइड्रिल)
उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार
14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

दूरभाष : 0522-2288656

ईमेल : cehydelpcl@gmail.com

फैक्स : 0522-2288655

सं०- 1044 -अनु०-प्रथम/ए०सी०पी० / तृतीय समयबद्ध वेतनमान

दिनांक: 29 अक्टूबर 2018

कार्यालय-ज्ञाप

परिषदादेश सं०-965-पी/राविप-तीस-4पी/86, दिनांक 18.06.89 पूर्ववर्ती परिषदादेश सं०-1598-पी/राविप, दिनांक 21.08.89, कारपोरेशन आदेश सं०-83/राविप दिनांक 24.02.2000 सपठित कारपोरेशन के आदेश सं०-55/काविनी एवं वे०प्र०-29 दिनांक 12.01.2017 एवं उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद के आदेश सं०-1618-का०वि०नि०/ राविप-29/98-29पी/89 दिनांक 29.09.1998 के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया एवं मापदण्डों के अनुसार अधोनामित अवर अभियन्ताओं (विद्युत एवं यांत्रिक) को उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति की तिथि से 19/20 वर्षीय अनवरत सेवा करने के उपरान्त तृतीय समयबद्ध वेतनमान/ए०सी०पी० स्तम्भ-05 के नीचे अंकित की तिथि से एतद्वारा अनुमन्य किया जाता है :-

क्र०सं०	अवर अभियन्ता का नाम	वरि०क्र०	समयबद्ध वेतनमान/ए०सी०पी०	अनुमन्यता की तिथि
1	2	3	4	5
1	स्व० अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव (से०नि०)	6231	तृतीय	01.07.2000

उपरोक्त अवर अभियन्ताओं (वि० एवं या०) को तृतीय समयबद्ध वेतनमान/ए०सी०पी० प्रदान करने सम्बन्धी आदेश निम्नलिखित प्रतिबन्धों के साथ निर्गत किये जाते हैं:-

- कि उनकी सेवा से निलम्बित रहने अथवा रहते/अभियोजन सम्बन्धी कार्यवाही से गस्त होने/ट्रैप में गिरफ्तार होने/उनके विरुद्ध किसी प्रकार की आर्थिक शस्ति/प्रत्याप्ति (रिकवरी) के लम्बित रहते/अप्राप्य आलोच्य वर्षों की उनकी गोपनीय चरित्र पंजी में अंकित अभ्युक्ति में अन्यथा उसके बदले दिये गये सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र प्रतिकूल होने पर यथा अनुमन्य समयबद्ध वेतनमान/ए०सी०पी० प्रदान करने के सम्बन्ध में निर्गमित किये गये उपर्युक्त आदेशों को बिना किसी कारण बताये वापस से लिये जायेंगे।
- उक्त अवर अभियन्ताओं में से किसी अवर अभियन्ता की स्तम्भ (5) के नीचे अंकित तिथि से तृतीय समयबद्ध वेतनमान/ए०सी०पी० यदि इन आदेशों के पद पर ही स्वीकृत हो चुका हो तो उसके सम्बन्ध में यह आदेश स्वतः निष्प्रभावी होंगे।
- अधोनामित अवर अभियन्ताओं (वि० एवं या०) को पूर्व में इस कार्यालय के ज्ञाप सं०-974/अनु०-प्रथम, दिनांक 07.12.2005 द्वारा तृतीय समयबद्ध वेतनमान/ए०सी०पी० वर्ष 19/20 वर्ष की सेवा अवधि के अनुसार स्वीकृत किया गया था, जिसके क्रम सं०-57 पर नामित श्री श्री चन्द्र तिवारी (वरि०क्र०-3529), को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-04 के नीचे अंकित तिथि 04.02.1995 (20वर्ष) से स्वीकृत की गयी थी। पूर्ववर्ती उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद के आदेश सं०-1618-का०वि०नि०/राविप-29/98-29पी/89 दिनांक 29.09.1998 में निहित प्राविधाननुसार श्री श्रीचन्द्र तिवारी (वरि०क्र०-3529) को स्वीकृत तृतीय समयबद्ध वेतनमान/ए०सी०पी० 19 वर्ष के अनुसार देय तिथि 04.02.1994 तृतीय समयबद्ध वेतनमान/ए०सी०पी० स्वीकृत किया जाता है।

क्र० सं०	अवर अभियन्ता का नाम	वरि० क्र०	समयबद्ध वेतनमान/ए० सी०पी०	पूर्व में अनुमन्यता की तिथि	संशोधित तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री श्रीचन्द्र तिवारी	3529	तृतीय	04.02.1995	04.02.1994

अधोनामित अवर अभियन्ताओं (वि० एवं या०) को तृतीय समयबद्ध वेतनमान/ए०सी०पी० की स्वीकृति के आदेश उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ (5) में अंकित वांछित गोपनीय चरित्र पंजिकाये सन्तोषजनक होने एवं सत्यनिष्ठा प्रमाणित होने तथा विविध अग्रिम समायोजन होने पर जारी किये जायेंगे।

क्र० सं०	अवर अभियन्ता का नाम	वरि० क्र०	समयबद्ध वेतनमान/ए०सी०पी०	वांछित अभिलेख/वार्षिक गोपनीय आख्यायें
1	2	3	4	5
1	श्री गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव (से०नि०)	4380	तृतीय	1991 से 1994
2	श्री रवीन्द्र कुमार चौहान (से०नि०)	5725	तृतीय	1996 से 2001 वार्षिक गोपनीय आख्या एवं विविध अग्रिम रु०— 11,29,511.00

यदि उपरोक्त आदेश में किसी भी प्रकार की भविष्य में त्रुटि पायी जायेगी तो उसे नियमानुसार संशोधित कर दिया जायेगा।

मुख्य अभियन्ता(हाइडिल)

संख्या :- 1044 -अनु०-प्रथम/तद्दिनांक : 29 / 10 / 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक(का०प्र० एवं प्रशा०, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. शिविर मुख्य अभियन्ता(हाइडिल), उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० पाकालि, लखनऊ।
4. समस्त अधीक्षण अभियन्ता।
5. अधिशासी अभियन्ता (वेब)।
6. कट फाईल।



(अरुण कुमार)

वैयक्तिक सहायक (पंचम)

कृते मुख्य अभियन्ता(हाइडिल)